



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, मध्यम तल, सेक्टर-एच, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024
Email: roc.alig@moef.nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०८/१५५/२०२२/एफ.सी. १००

दिनांक: 25.07.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Water/155109/2022

विषय: उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन विछाने में जनपद जालौन में प्रभावित 4.7727 हे० संरक्षित वनभूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी में प्रभावित 0.006 हे० एवं 0.75 हे० आरक्षित वनभूमि तथा बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन अर्थात् कुल 5.5287 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक सं० : पी-195/81-2-2022-800(182)/2022, लखनऊ, दिनांक-30.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. As per the Google earth imageries dated 23-05-2018, plantation activity is visible on the proposed CA land area. This needs clarification/rectification.
2. NOC from concerned departments (NHA1, PWD, etc.) needs to be submitted.
3. Whether laying of water pipeline is in existing RoWs within the diverted forest area or not? This needs clarification in respect of exemption in CA for area proposed for diversion in Jalaun district.
4. The size of trench for laying of underground pipeline within existing RoWs is not mentioned. This needs clarification in respect of exemption in CA area proposed for diversion in Jalaun district.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम, उरई।

5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 337 / 11-सी-FP/UP/Water/155109/2022, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 26, 2022

प्रतिलिपि— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन एवं झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, उरई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।